कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक -

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल में धूधूखान सौड़ मोटर मार्ग एवं देवीपूरा सौड़ मोटर मार्ग के मध्य मिंसिंग लिंक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/9093/2015

सन्दर्म:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 04-01-2016

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक — 04—01—2016 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 189/12—1 दिनांक 15—07—2017 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्द्वार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :—

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	On persual of enumeration list submitted as additional documents, it is seem that 18 number of trees above 10 cm dia are present in the Van panchayat land but, the number of trees is shown as 20 in online part II. which may be reviewed and corrected, if required.	1— प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित मार्ग में कुल 34 वृक्ष प्रभावित होते है। जिसमें नाप भूमि के 3 वृक्षो तथा वन पंचायत भूमि के 31 वृक्ष है। जिसमें 0—10 व्यास सेमी0 के 14 वृक्ष जिसमें से 1 वृक्ष नाप भूमि का समिलत है। पार्ट । के Additional Information SR.No-4 के page No-29 में संलग्न वृक्षों की सूची में विवरण अंकित है। पार्ट ।। में 18 वृक्षों का पातन आनलाईन अंकित किया गया है, जो कि वन पंचायत भूमि में हैं, शेष (दो) 02 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित हो रहे है। जिनका उल्लेख पार्ट ।। में नहीं किया गया है।
2	On perusal of geo-referenced map and the soft copy of the map and the soft copy of map submitted in google earth. it appears that the proposed road has already been constructed. If this is the case, then it is violation of FCA. State Govt may get the matter investigated and a detailed report may be submitted to this office. State govt submit above information/documents.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत किया है, कि जिये रिफ्रेन्स मैप में एवं साफट काफी में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है। वह इस विभाग द्वारा निर्मित नही है। यह प्रदिशत मार्ग स्थानीय ग्रामीणों द्वार पूर्व में निर्मित किया गया है। जिसका उपयोग उनके द्वारा पूर्व में निर्मित किया गया है। जिसका उपयोग आवागमन हेतु किया जाता रहा है। इस विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग उक्त विघमान मार्ग से अलग समरेखन से गुजरता है। जिसे जियो रिफरेन्स मैप एवं साफट काफी में लाल रंग से दर्शाया गया है इस समरेखण में वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

भवदीय,

(विनोद कुमार) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी